

प्रेषक,

जिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक
वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया
लठियों, बाईपास, वाराणसी।

पत्रांक: बेसिक/ 12504-06 /2022-23

दिनांक: 10-04-22


विषय: विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त द्वारा वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया लठियों, बाईपास, वाराणसी को 01 वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा-1 से 5 तक के लिए अनन्तित अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस संदर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक के द्वारा अन्य पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। उक्त विद्यालय रजिस्टर्ड किरायेदारी के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया लठियों, बाईपास, वाराणसी की मान्यता को स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्तों यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम-13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,


(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

पृसं०: बेसिक/

/2022-23


पददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।


Principal
Vardhan International School
Nibiya, Lathiya, Varanasi


MANAGER
VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI

प्रेषक,

जिला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक

वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया
लठियाँ, बाईपास, वाराणसी।

पत्रांक: बेसिक/12507-09/2022-23

दिनांक: 10-04-22

विषय: विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में दिये गये निर्देश के क्रम में मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त द्वारा वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया लठियाँ, बाईपास, वाराणसी को 01 वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा-6 से 8 तक के लिए अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम की मान्यता प्रदान की गयी थी। इस संदर्भ में आपने अपने पत्र दिनांक के द्वारा अन्य पत्रजात की प्रति संलग्न करते हुए विद्यालय की मान्यता को नवीनीकृत किये जाने पत्रावली प्रस्तुत की गयी है। उक्त विद्यालय रजिस्टर्ड किरायेदारी के आधार पर संचालित किया जा रहा है।

अतः विद्यालय द्वारा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने के फलस्वरूप वर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया लठियाँ, बाईपास, वाराणसी की मान्यता को स्थायी किया जाता है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 में उल्लिखित शर्तों यथावत् लागू रहेंगे तथा विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित 01 या 01 से अधिक शर्तों का उल्लंघन करने अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गयी हो तो शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08.05.2013 के नियम-13 के उपनियम (क), (ख), (ग), (घ) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त प्रबन्धक द्वारा कोई तथ्य छिपाने अथवा कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,


(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

पृसं०: बेसिक/

/2022-23


पददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण/नगर क्षेत्र, वाराणसी।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।


Principal
Vardhan International School
Nibiya, Lathiya, Varanasi


MANAGER
VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,

बर्धन इण्टरनेशनल स्कूल

30-निबिया, लठिया, बाईपास, वाराणसी।

पत्रांक: /मान्यता/ 20094-96

/2020-2021

दिनांक : 17-03-2021

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29-09-2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं बर्धन इण्टरनेशनल स्कूल, 30-निबिया, लठिया, बाईपास, वाराणसी को तारीख 01-04-2021 से तारीख 31-03-2022 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 - 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 - 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 - 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 - 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal

Vardhan International School
Nibiya, Lathiya, Varanasi

(क्रमशः..2)

VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 7300 वर्ग मीटर
 - कुल निर्मित क्षेत्र - 7688 वर्ग मीटर
 - क्रीडास्थल का क्षेत्रफल - पर्याप्त है।
 - कक्षाओं की संख्या - 07
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिए कक्षा - 01
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई -
 - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत् मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधतंत्र का होगा।

भवदीय

(रकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।
उसी तिथि को।

पुसं०: /मान्यता/ /2020-2021
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।


Principal
Vardhan International School
Nibiya, Lathiya, Varanasi

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

MANAGER
VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
LATHIYA, VARANASI

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबंधक,

बर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया
लठिया बाईपास, वाराणसी।

पत्रांक: /मान्यता/ 21073-15 /2020-2021 दिनांक: 25-03-2021
विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के
अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 29.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/
निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं बर्धन इण्टरनेशनल स्कूल 30 निबिया लठिया बाईपास, वाराणसी को तारीख 01.
04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अनन्तिम
अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Principal

Vardhan International School
Nibiya, Lathiya, Varanasi

(क्रमशः-2)

MANAGER

VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 7300 वर्गमीटर
 - कुल निर्मित क्षेत्र - 1600 वर्गमीटर
 - क्रीडास्थल का क्षेत्रफल - पर्याप्त है।
 - कक्षाओं की संख्या - 07
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा - 01
 - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई -
 - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

उसी तिथि को।

पृ0सं0: /मान्यता/

/2020-2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।

Principal

Vardhan International School
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।Principal
MANAGER
VARDHAN INTERNATIONAL SCHOOL
NIBIYA, LATHIYA, VARANASI